गबन — मेडिकल कॉलेज का मामला, दोषियों पर जल्द गाज गिरने की संभावना

66 लाख का गबन : बैंक से 6 साल के लेनदेन का स्टेटमेंट मांगा

नवभारत,जबलपुर। संभाग के सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में लगभग 66 लाख 45 हजार 622 के गबन के मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और संदिग्ध कैशियर अरविंद धुर्वे के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करने का काम मेडिकल प्रबंधन द्वारा तेज कर दिया गया है। अब वर्ष 2020 से लेकर अभी तक वर्ष 2026 तक के सरकारी बैंक से लेनदेन का स्टेटमेंट मांगा गया है।

जानकारों का मानना है कि बैंक के स्टेटमेंट से काफी हद तक साफ हो जाएगा कि कितना रुपए जमा किया गया है और कितना गबन किया गया है। मतलब साफ है कि संदिग्ध कैशियर अरविंद धुर्वे की राह आसान नहीं होने वाली है।

2020 से लेकर 2025 के बीच किया गबन

जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2025 के बीच ओपीडी स्लिप और मरीजों की जांच से मिलने वाली राशि में ये सरकारी खजाने का गबन किया गया है। मरीजों के इलाज और ओपीडी रसीदों से प्राप्त रुपयों को सरकारी बैंक खाते में जमा करने के बजाय निजी तौर पर गबन कर लिया गया। घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कॉलेज प्रबंधन की ऑडिट रसीद बुक और बैंक में जमा की गई राशि के बीच भारी अंतर सामने दिखा। विदित हो कि मामला संज्ञान में आने के तुरंत बाद मेडिकल डीन ने 3 सदसीय टीम जांच के लिए गठित की और संदिग्ध कैशियर अरविंद धुर्वे को वित्त विभाग से तत्काल हटाकर दूसरे विभाग भेज दिया। खबर है कि इसके एक साथी विशाल उसरेठे को भी दूसरे विभाग भेज दिया गया है जो खुद जांच के दायरे में शामिल है।

इनका कहना है

मेडिकल कॉलेज में 66 लाख के गबन को लेकर सरकारी बैंक से पिछले 6 साल के लेनदेन का स्टेटमेंट मांगा गया है। पूरी तरह घोटाले में सहायक ग्रेड 3 के कैशियर अरविंद धुर्वे की संलप्तिता नजर आ रही है। जांच कमेटी की जांच चल रही है और जल्द ही दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

डॉ. नवनीत सक्सेना
डीन, मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर

मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 1 .48 लाख

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत पटेल नगर महाराजपुर निवासी एक महिला को ऑनलाइन घरेलू सामग्री मंगवाना महंगा पड़ गया। साइबर ठग ने मोबाइल हेकिंग करते हुए खाते से 1 लाख 48 हजार 524 रूपये उड़ा लिए। पुलिस ने रिपोर्ट पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक रविवार को श्रीमति चंद्रमा बनर्जी 38 वर्ष निवासी पटेल नगर महाराजपुर अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ब्लिंकिट से उसने घरेलू सामग्री आर्डर किया था। सुबह लगभग 9-30 बजे नोमान अख्तर आर्डर की सामग्री लेकर आया, उसने देखा तो लगा कि एक लिपिस्टक कम है नोमान अख्तर ने अपने मैनेजर से बात अपने ही मोबाइल से कराई। मैनेजर ने कहा कि अपना नम्बर दे दो तो उसने मैनेजर को अपना नम्बर दे दिया, मैनेजर ने फोन कर बताया आपका लिपिस्टक एक बंदा आकर दे जायेगा आप नोमान अख्तर को जाने दीजिये फिर मैनेजर ने उससे कहा कि आप अपने मोबाइल की सेंटिंग में जाकर कुछ क्लिक करवाया इसके बाद 2, 3 घण्टे ब्लैक हो गया खाते से 1 लाख 48 हजार 524 रूपये निकाल लिये गये।

बस का तांडव : साले की मौत, जीजा गंभीर

जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत भखरी में रविवार दोपहर दुकान के बाहर खड़े होकर चाय पी रहे जीजा-साले को बस ने कुचल दिया। इसके बाद बाइक को भी टक्कर मार दी। हादसे में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां साले की मौत हो गई जबकि जीजा की हालत नाजुक बनी हुई जिसे शासकीय अस्पताल सिहोरा से जबलपुर रेफर कर दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक अशोक कुमार गौड़ 52 वर्ष निवासी ग्राम भखरी सिहोरा के बड़े बेटे कुलदीप सिंह गौड़ 23 वर्ष की शादी कुछ दिन पहले ग्राम बसुधा में हुयी है कुलदीप का साला प्रमेश उर्फछोटू निवासी बसुधा जिला कटनी का घूमने के लिये भखरी आया था जिसको छोडने के लिये कुलदीप विश्वनाथ ठाकुर की दुकान के पास अपनी होण्डा मौटर सायकल से गया था कि दोपहर लगभग 12 बजे विश्वनाथ ठाकुर की दुकान के बाहर खड़े होकर चाय पी रहा था उसी समय ग्राम कुआ की तरफ से प्रेमसागर बस क्रमांक एमपी 20 जेड आर 7515 का चालक अपनी बस को तेज गति लापरवाही से चलाते हुये रोड किनारे खड़े उसके बेटे कुलदीप एवं प्रमेश उर्फछोटू गौड एवं मोटर सायकल में टक्कर मार दिया जिससे दोनों मोटर सायकल जमीन पर गिर गये, दोनों को सिर हाथ पैर एवं शरीर में चोटें आयीं तथा मोटर सायकल भी क्षतिग्रस्त हो गयी। दोनों घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल सिहोरा लेकर आये जहां प्रमेश उर्फछोटू गौंड़ 21 वर्ष को मृत घोषित कर दिया कुलदीप को उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाते हुये आरोपी बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

खम्बे से टकराई बाइक, घायल ने तोड़ा दम

भेड़ाघाट थाना अंतर्गत शिल्पीनगर मोड़ के पास 12 अप्रैल को खम्बे से टकराने से घायल हुए बाइक चालक ने इलाज के दौरान बीती रात दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक रविवार को करन कोल 23 वर्ष निवासी पिपरिया तेवर ने सूचना दी कि 12 अप्रैल 26 को उसका बड़ा भाई अभिषेक कोल 25 वर्ष मोटर सायकल से खेत जा रहे थे शिल्पीनगर मोड़ के पास दोपहर लगभग 1-30 बजे स्वंय खम्बे से टकरा जाने से चोटें आने से उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गये जहां से जानकी रमण अस्पताल में भर्ती कराया था। 4 मई को अस्पताल से छुट्टी कराकर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था दौरान उपचार के रात लगभग 11-15 बजे बड़े भाई अभिषेक कोल की मौत हो गई।

मतदान को लेकर तैयारियां पूरी, न्यायालय पहुंचीं मत पेटियां

जबलपुर, नवभारत। प्रदेश के वकीलों की नियामक संस्था मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद की नई कार्यकारिणी के लिए मतदान 12 मई को होना है। इससे पहले निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति एसके पालो ने मतदान केंद्रों की जानकारी साझा की है। सूचना के मुताबिक जबलपुर में उच्च न्यायालय परिसर स्थित साउथ ब्लॉक और जिला एवं सत्र अदालत में पार्किंग क्षेत्र के रूप में दो मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान के लिए समय सीमा सुबह 10 से शाम पांच बजे तक तय है। जहाँ प्रत्येक मतदाता को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं किए जाने पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व सचिव से मतदाता की पहचान करानी होगी। वही मतदान केंद्र से 200 गज की परिधि में किसी चुनाव प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं है। मतदाता केंद्रों पर निर्धारित प्रवेश व निकास द्वार से ही आ जा रहे हैं।

चुनाव में 122 उम्मीदवार है

मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव मंगलवार को होने है। जिसको लेकर तैयारी जोरों से चल रहीं है। इसी कड़ी में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में मत पेटियों के आने का क्रम शुरू हो गया है। मालूम हो कि चुनाव में 122 उम्मीदवार है और 87 हज़ार 400 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

सड़क के गुंडे : 584 बिगड़ैल चालक, हर एक ने 10 से ज्यादा बार ट्रैफिक कानून तोड़ा

सिस्टम को किया चैलेंज, नियम ताक पर रख 40,000 चालकों ने नहीं भरा चालान

जबलपुर। किसी ने नियमों को ताक में रखकर रेड लाइट जंप की तो कोई बिना हेलमेट पहने, ओवरस्पीडिंग वाहन चला रईसी झाड़ रहा था। कैमरों के साथ पुलिस ने इन्हें बार-बार पकड़ा, चालान इनके घर पहुंचे, लेकिन शहर की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन डिफॉल्टर्स ने खुद को कानून से ऊपर समझने की गलतफहमी पाल ली और आज तक सरकारी खजाने में फूटी कौड़ी जमा नहीं की है।

दरअसल नवभारत की पड़ताल के दौरान ट्रैफिक पुलिस के डेटा ने एक ऐसी फौज का पर्दाफाश किया है जिन्हें न कानून का खौफ है और न ही अपनी और दूसरों की जान की फिक्र है। नियमों का उल्लंघन कर इन्होंने न केवल कानूनन अपराध किया बल्कि दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। 40,000 ऐसे चालक है जिन्होंने यातायात नियम तोड़े लेकिन चालान नहीं भरा। जिनमें से 584 तो ऐसे बिगड़ैल चालक है जिनमें से हर एक ने 10 से ज्यादा बार ट्रैफिक कानून तोड़ा है। ऐसे सीरियल ऑफेंडर्स चिन्हित किए गए हैं, जिनके लिए

ट्रैफिक नियम महज कागज के टुकड़े हैं। इन लोगों की ढिठाई का आलम यह है कि इनमें से हर एक के नाम पर 10 से ज्यादा चालान पेंडिंग पड़े हुए है और वे आदतन नियम तोड़ रहे हैं और को सिस्टम को चैलेंज करते हुए ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने ऐसे लापरवाह चालकों को डिफॉल्टर्स मानते हुए उनकी सूची आरटीओ को भेज दी है। अब यदि अगले कुछ दिनों में इन्होंने चालान राशि जमा नहीं की गई, तो बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड या रद्द भी हो सकता है। चालानी प्रक्रिया, कार्रवाई तो रोजाना चल रही है लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये लोग किसके शह पर सड़कों को अपनी जागीर समझ नियम तोड़ रहे हैं? क्या 10-10 बार कानून तोड़ना बहादुरी है या बेशर्मी?

आरटीओ को भेजी सूची, नहीं बेच पाएंगे गाड़ी नहीं होगी ट्रांसफर, लाइसेंस भी निरस्त होगा

नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को आईना दिखाने यातायात पुलिस ने लगभग 584 लोग चिन्हित किए हैं जो सीरियल ट्रैफिक ऑफेंडर मतलब लगातार नियम तोड़ने वाले बन चुके हैं। इन चालकों में से प्रत्येक के नाम पर 10 या उससे अधिक चालान दर्ज हैं। बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद इनमें से किसी ने भी आज तक एक भी रुपया चालान के रूप में जमा नहीं किया है। पुलिस ने उल्लंघन करने वालों की सूची बनाने के साथ जानकारी आरटीओ को भेज दी है। अब इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन कार्ड और चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। आरटीओ ने ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस तामील कराना शुरू कर दिया है। जब तक पुराने चालान क्लियर नहीं होंगे, तब तक न तो गाड़ी बेची जा सकेगी और न ही किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर होगी। ऐसे आदतन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चालान जमा नहीं हुए तो परिवहन विभाग इन गाड़ियों की आरसी ब्लॉक करेगा।

15 दिन का समय, फिर सीधे कोर्ट का चक्कर

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जो वाहन चालक मौके पर चालान नहीं भरते, उनका ई-चालान जनरेट किया जाता है। नियम के अनुसार, चालक को 15 दिन का समय दिया जाता है। इस अवधि में वे संबंधित थाने मालवीय चौक ट्रैफिक थाना या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपना चालान भुगतान कर सकते हैं। यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता, तो मामला वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। वर्चुअल कोर्ट के पोर्टल पर यह चालान 90 दिनों तक लंबित रहता है। अगर तीन महीने के भीतर भी राशि जमा नहीं की गई, तो मामला रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ से लोक अदालत और फिर नोटिस तामील होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके साथ ही चालान जमा नहीं करने वालों पर लाइसेंस, आरसी रद्द करने की कार्रवाई भी होती है।

सूदखोरों के चंगुल में फंस बिल्डर ने खाया जहर

परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

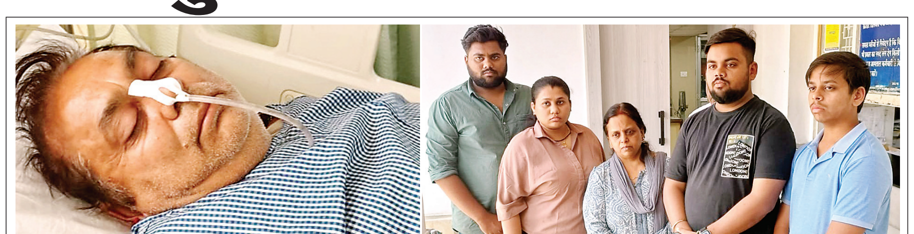

जबलपुर। एक बिल्डर ने सूदखोरों के चंगुल में फंसकर जहर का सेवन कर लिया। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने सूदखोरों पर प्रताड़ना और कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है।

जानकारी के मुताबिक कचनार सिटी निवासी बिल्डर शरद मौर्य शनिवार शाम से अचानक लापता हो गए। चिंतित परिजनों ने अपने स्तर पर उनकी खोजबीन की। इसके बाद वे बेहोश हालात में गोलबाजार में मिले। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि शरद मौर्य पिछले सालों से अत्यधिक मानसिक दबाव में थे। आरोप है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उन पर अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूलने के लिए दबाव डाला जा रहा था। मूल राशि चुकाने के बाद भी उन पर अनैतिक तरीके से पैसों की मांग की जा रही थी और उन्हें धमकियां मिल रही थीं। शरद के पुत्र प्रांजल मौर्य ने बताया कि कल शाम पांच बजे से पिता के फोन पर रिंग जा रही थी लेकिन रिसीव नहीं हो रहा था। जिसके चलते परिजन चिंतित हो गए। इसके सभी तलाश में निकले। शाम करीब 7:52 बजे पिता गोलबाजार में बेहोश मिले। पिता प्रॉपर्टी का काम करते थे उन्होंने ब्याज पर रकम उठाई थी। जिसके बाद सूदखोरों ने उन पर दबाव बनाया तो 20 प्रतिशत तक का ब्याज दिया। इसके बाद भी पिता को धमकियां मिल रही थी।

जिससे वे डरे हुए थे और तनाव में रह रहे थे। सूदखोरों ने पिता को प्रताड़ित किया है जिसकी शिकायतें थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बिल्डर की पत्नी अंशु मौर्य ने बताया कि 20 से 25 लोग परेशान कर रहे है। एसपी से लेकर थाने में शिकायत की कार्रवाई नहीं की है। जब इस संबंध में लार्डगंज थाना प्रभारी नवल आर्य से संपर्क किया गया तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है।

ट्रेन में छूटा बैग, आरपीएफ ने लौटाया

जबलपुर, नवभारत। दयोदय एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री का कीमती सामान ट्रेन में ही छूट गया। ट्रेन रवाना होने के बाद यात्री को इसकी जानकारी लगी, जिसके बाद उसने रेल मदद के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। रेल सुरक्षा बल ने सामान खोज निकाला और सुरक्षित यात्री को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार यात्री आयुष सोनी दयोदय एक्सप्रेस के बी-5 कोच की बर्थ नंबर 60 पर यात्रा कर रहे थे। जल्दबाजी में उनका बैग ट्रेन में ही छूट गया। बैग में टैबलेट, चार्जर, पर्स, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड तथा 700 रुपए नगद रखे हुए थे। सामान की कुल कीमत करीब 53,200 रुपए बताई गई है। बैग को आरपीएफ पोस्ट जबलपुर में जमा कराया गया।

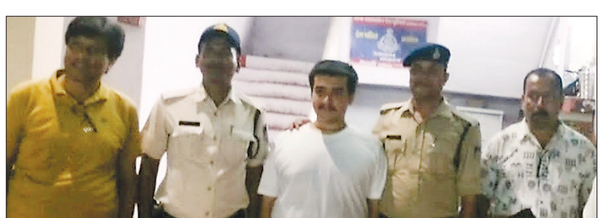

कोलकाता से भागकर जबलपुर आया बालक

जबलपुर, नवभारत। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत एक बालक परीक्षा में कम नंबर आने पर घर से भागकर ट्रेन में बैठा और जबलपुर आ गया। जीआरपी टीआई संजीवनी राजपूत ने बताया कि स्टेशन में जब बालक टीम को मिला तो उसने बताया कि वह कोलकाता से ट्रेन में बैठकर जबलपुर आ गया। जब टीम ने नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम 18 वर्षीय सौमोजीत चटर्जी निवासी काशीश्वर चटर्जी लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल बताया। टीम ने परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि बालक की थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज है। कोलकाता से बालक के पिता सौरभ व माता झौमली चटर्जी जबलपुर पहुंचे, जिनके सुपुर्द बालक को कर दिया गया।

लाइन परिचालक को धमकाया, पीटा

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत 33 केव्ही उर्दुआ खुर्द में कृषि लाईन सुधार कार्य के दौरान बदमाश ने लाइन परिचालक के साथ मारपीट करते हुए धमकाया। पुलिस ने रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम संदीप दीपांकर 27 वर्ष निवासी तुलसी कॉलोनी पनागर का पनागर वितरण केन्द्र ग्रामीण में लाईन परिचालक के पद पर पदस्थ है। रविवार को कनिष्ठ यंत्री द्वारा 33 केव्ही उर्दुआ खुर्द में डयूटी 20 कर्मचारियों की लगाई गई थी दोपहर लगभग 12 बजे कुशनेर कृषि लाईन चालू होनी थी 12-09 बजे चालू हुयी थी फिर फाल्ट हो गयी उसके थोड़ी देर बाद 12-30 बजे धर्मेन्द्र पटैल मुड़िया निवासी आकर संदीप के साथ जातिगत रूप से अपमानित करते हुये हाथ मुक्कों से मारपीट की। जिससे सीना व चेहरे में चोट पहुंचा दी उसके सहकर्मी गणेश नाल्या, सियाशरण वर्मा, गोविन्द बर्मन एवं अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव किया धर्मेन्द्र पटेल जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57